न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 35/2021

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र बोदू उर्फ बोदूलाल जाति भांबी (बलाई)
2. छीतर पुत्र बोदू उर्फ बोदूलाल जाति भांबी (बलाई)
3. रामलाल उर्फ रामपाल पुत्र बोदू उर्फ बोदूलाल जाति भांबी (बलाई) समस्त निवासी तेजा चौक, कोटडा, अजमेर।

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज0 पैरोकार

2. रघुनाथ पुत्र बोदू उर्फ बोदूलाल जाति भांबी (बलाई) निवासी तेजा चौक, कोटडा, अजमेर।

—— प्रफोर्मा प्रतिवादी :— जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 13.12.21

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी के चौसाला खसरा नम्बर 154 रकबा 15—00—00 की भूमि राजस्व कैम्प ढाल तहसील नसीराबाद में आंवटन अधिकारी द्वारा दिनांक 18.6.66 को वादीगण के पिता बोदू पुत्र देवा जाति भांबी को आंवटित की गयी। जिसके वंर्किग खसरा नम्बर 192 मिन के वर्तमान खसरा नम्बर 477/1694 रकबा 1.30 है0 व वंर्किग खसरा नम्बर 213 के वर्तमान खसरा नम्बर 478/1696 रकबा 1.14 है0 बने है। आवंटन दिनांक से वादीगण क पिता द्वारा उक्त आराजी पर सुधार कार्य कर काश्त की जा रही है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में वादी के पिता के नाम खातेदार दर्ज है किन्तु हाल जमाबंदी में उक्त आराजी को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। अतः ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 477/1694 रकबा 1.30 है0 व 478/1696 रकबा 1.14 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा आवंटन नियमन के तथ्स वादीगण दस्तावेज से सिद्व करे। भूमि बंदोबस्त में [illegible] सिवायचक दर्ज की गयी है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे [illegible] स्पष्ट नही की है। भूमि सिवायवक है अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रफोर्मा प्रतिवादी ने प्रकरण में जवाब [illegible] किया।
प्रकरण में निम्न तनकियात कायम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—2

Scanned by CamScanner

. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वजो को विधिवत आवंटित हुयी थी?

— — वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

— — वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व आवंटन के दस्तावेज पेश किये तथा वादी रामलाल उर्फ रामपाल के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावेज अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 154 मिन रकबा 15–00–00 की आराजी दिनांक 18.6.66 को बोदू पुत्र देवा को आवंटन कमेटी द्वारा आंवटित की गयी। जिसके वंर्किंग खसरा नम्बर 192 मिन के वर्तमान खसरा नम्बर 477/1694 रकबा 1.30 है0 व वंर्किंग खसरा नम्बर 213 के वर्तमान खसरा नम्बर 478/1696 रकबा 1.14 है0 बने है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन दस्तावेज अनुसार उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 154 रकबा 15–0–0 वादीगण के पूर्वज बोदू पुत्र देवा को आवंटित हुयी थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2037 से 2040 में चौसाला खसरा नम्बर 154 कालम संख्या 41 में बोदू पुत्र देवा भांबी के नाम आवंटन दर्ज है। वंर्किंग जमाबंदी में भी बोदू के नाम आवंटन का नोट अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वंर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज के नाम आवंटन दर्ज थी। वादीगण द्वारा इसके समर्थन में वांछित दस्तावेज भी पेश किये है जो वादीगण के कथनों की ताईद करते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदारी व धारा 91 नोटिस से भी वादीगण के उक्त खसरा नम्बर पर कब्जे की पुष्टि होती है। उक्तानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का विधिवत आवंटन बोदू पुत्र देवा को हुआ है। वादीगण के पूर्वज को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन का नोट वंर्किंग जमाबंदी व तत्समय की खसरा गिरदावरी में अंकित है। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार पूर्व राजस्व अभिलेख में चौसाला खसरा नम्बर 154 में से 15–0–0 आराजी वादीगण के पूर्वज को आवंटित हुयी थी। चौसाला खसरा नम्बर 154 के वंर्किंग खसरा 192 मिन के वर्तमान खसरा नम्बर 477/1694 रकबा 1.30 है0 व वंर्किंग खसरा नम्बर 213 के वर्तमान [illegible] 478/1696 रकबा 1.14 है0 बने है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 91 नोटिस (सम्वत् 2078 सन् 202[illegible] [illegible] उक्त खसरा नम्बर पर वादीगण का कब्जा काश्त सिद्व होता है। राजस्व [illegible] [illegible] की पालना विधिवत तरीके से साबिक राजस्व अभिलेख व तत्पश्[illegible] [illegible] राजस्व [illegible]लेख में करनी थी। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा तत्समय आवंटन आदेश [illegible] [illegible] तरीके से पालना नही करने की त्रुटि हेतु वादीगण जिम्मेदार नही है। वादीगण के पूर्वज को उक्त [illegible]राजी का विधिवत आवंटन हुआ था

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ो वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज व साक्ष्य से सिद्व होता है। वादग्रस्त आराजी हाल ाजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादीगण का वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन आदेश का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया हो अथवा नही। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण के पूर्वज को उक्त आराजी के आंवटन के बाद राजस्व अभिलेख में जरियें नामान्तकरण भूमि का इन्द्राज करने का दायित्व राजस्व कार्मिको का है। राजस्व कार्मिको द्वारा उक्त कार्य नही किये जाने के कारण ही वादीगण द्वारा प्रश्नगत वाद न्यायालय में पेश किया है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती में खातेदारी प्राप्त करने के ही अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मंडियानी के हाल खसरा नम्बर 477/1694 रकबा 1.30 व 478/1696 रकबा 1.14, है0 आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner